

बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग।

अधिसूचना

संख्या—स0क0निग0—10—25/05..... ५७७८ / श्रीमती सरिता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पिपराही जिला—शिवहर सम्प्रति मुख्यालय—आई०सी०डी०एस०, बिहार, पटना को वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर के निदेशानुसार जिला पदाधिकारी, शिवहर के द्वारा शिवहर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0—1088 दिनांक—10.03.2011 निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त निलंबन के विरुद्ध श्रीमती कुमारी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्ल०जे०सी० सं0—17712/2013 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में समीक्षोपरान्त श्रीमती सरिता कुमारी को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. श्रीमती सरिता कुमारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अलग से दण्ड अधिरोपित करने का आदेश निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

*Amrit* १९/१५  
(वीरेन्द्र कुमार)  
विशेष सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक— स0क0निग0—10—25/05 —

५७७८

पटना 15, दिनांक:— 15.10.14

प्रतिलिपि— ई—गजट, वित्त विभाग पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी के साथ राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशार्थ प्रेषित।

*Amrit* १९/१५  
विशेष सचिव।

ज्ञापांक—स0क0निग0—10—25/05 — ५७७८

पटना 15, दिनांक:— 15.10.14

निलंबित

प्रतिलिपि— महालेखाकार बिहार पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त मुजफ्फरपुर/पटना/निदेशक, आई०सी०डी०एस० पटना/जिला पदाधिकारी, शिवहर/पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, शिवहर/पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, निगरानी के आप्त सचिव/संयुक्त निदेशक, मुख्यालय (स्था०)/विभागीय आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना शाखा—०१/श्रीमती सरिता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पिपराही, शिवहर निलंबित मुख्यालय आई०सी०डी०एस०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

*Amrit*  
१५/१०

*Amrit* १९/१५  
विशेष सचिव।

समाज कल्याण विभाग।